भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 124*

दिनांक 03.05.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

पुलिसकर्मियों द्वारा आत्महत्या

†*124. श्री टी.जी. वेंकटेश बाबूः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में पुलिसकर्मियों द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटनाओं की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान जानकारी में आए ऐसे मामलों की दिल्ली पुलिसकर्मियों सहित लिंग-वार और राज्य-वार संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं के पीछे के कारणों/परिस्थितियों की पहचना की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्यों के साथ समन्वय करके सरकार का कोई प्रस्ताव पर्याप्त और आधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण प्रदान करने और ऐसे कर्मियों के तनाव और कार्यभार को कम करने तथा पुलिस बल के निचले स्तर के कर्मचारियों को प्ररित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने और पुलिसकर्मियो की कार्य दशा में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय किए गए हैं और देश में पुलिसकर्मियों के कल्याण हेतु अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल रख दिया गया है।

दिनांक 03 मई, 2016 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 124 के उत्तर में विवरण

(क) और (ख): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-।। की प्रविष्टि-1 और 2 के अधीन 'पुलिस' ओर 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। तथापि, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा रखे गए आंकड़ों के अनुसार, कैलेन्डर वर्ष 2012, 2013 और 2014 में आत्महत्या करने वाले पुलिस कर्मियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-। में दिया गया है। जहां तक केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स का संबंध है, विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आत्महत्या करने वाले कार्मिकों का बल और महिला-पुरुष-वार ब्यौरा अनुलग्नक-।। में दिया गया है।

(ग): अधिकांश मामलों में इनके पीछे वैवाहिक मतभेद, व्यक्तिगत शत्रुता, मानसिक रोग, अवसाद आदि जैसे व्यक्तिगत और घरेलू समस्याएं पाई गईं। कुछ मामलों में इनका कारण कार्य संबंधी तनाव भी हो सकता है।

(घ) और (ङ): चूंकि राज्य पुलिस कार्मिकों के व्यक्तिगत मामलों की देख-रेख राज्यों द्वारा स्वयं की जाती है, इसलिए, राज्य पुलिस कार्मिकों की कार्यदशाओं में सुधार और कल्याण में भारत सरकार की कोई सीधी भूमिका नहीं होती है। तथापि, संघ सरकार राज्य सरकारों को उनके पुलिस कार्मिकों की कार्यदशाओं में सुधार लाने तथा आवश्यक कल्याणकारी उपाय करने के लिए सलाह देती रहती है। उन्हें व्यक्तिगत शिकायतों तथा आपसी व्यक्तिगत समस्याओं के निराकरण तथा समुचित सुविज्ञता संबंधी प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए

एक प्रभावी तंत्र स्थापित करने की भी सलाह दी गई है। पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के माध्यम से राज्य पुलिस को पुलिस थानों में बेहतर अवसंरचना संबंधी सुविधाओं तथा राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अंतर्गत राज्य पुलिस बल की अवसंरचना के विकास के लिए उपलब्ध कराई गईं निधियां राज्य पुलिस के कार्मिकों के मनोबल बनाए रखने में योगदान भी देती है। जहां तक केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/असम राइफल्स का संबंध है, इन पुलिस कार्मिकों की कार्यदशाओं में सुधार लाने तथा कल्याण के संबंध में भारत सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय अनुलग्नक-III में सूचीबद्ध हैं।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 124

अनुलग्नक-I

वर्ष 2012, 2013 और 2014 में आत्महत्या करने वाले सिविल कार्मिकों, सशस्त्र पुलिस बल कर्मिकों और अन्य पुलिस कार्मिकों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2012	2013	2014			
		कुल पुलिस	कुल पुलिस	सिविल पुलिस	सशस्त्र पुलिस	अन्य पुलिस	कुल पुलिस
1	आंध्र प्रदेश	10	11	3	0	0	3
2	अरूणाचल प्रदेश	1	0	0	0	0	0
3	असम	1	6	0	2	0	2
4	बिहार	1	8	0	1	0	1
5	छत्तीसगढ़	7	4	10	4	1	15
6	गोवा	0	1	0	0	1	1
7	गुजरात	6	8	3	2	0	5
8	हरियाणा	10	8	5	0	1	6
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
10	जम्मू एवं कश्मीर	2	5	3	0	0	3
11	झारखंड	1	7	0	0	0	0
12	कर्नाटक	17	15	7	0	0	7
13	केरल	8	15	8	1	0	9
14	मध्य प्रदेश	12	8	14	0	1	15
15	महाराष्ट्र	28	40	32	2	2	36
16	मणिपुर	0	2	1	4	0	5
17	मेघालय	0	0	0	0	0	0
18	मिजोरम	2	2	0	0	0	0
19	नागालैंड	0	1	0	0	0	0
20	ओड़िशा	6	1	0	1	3	4
21	पंजाब	1	9	4	0	0	4
22	राजस्थान	4	2	0	0	0	0
23	सिक्किम	0	0	1	0	0	1
24	तमिलनाडु	58	31	27	0	0	27
25	तेलंगाना			1	2	0	3
26	त्रिपुरा	2	0	0	0	0	0
27	उत्तर प्रदेश	9	9	4	1	1	6
28	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0
29	पश्चिम बंगाल	10	29	1	5	1	7
	कुल((राज्य)	196	222	124	25	11	160
30	अ.नि. द्वीप समूह	4	1	1	0	0	1
31	चंडीगढ़	3	0	0	0	0	0
32	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
33	दमण एवं दीव	1	0	0	0	0	0
34	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	10	10	4	0	0	4
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
36	पुडुचेरी	0	2	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	18	13	5	0	0	5
	कुल (अखिल भारत)	214	235	129	25	11	165

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 124

अनुलग्नक-II

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स

विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आत्महत्या करने वाले कार्मिकों का बल और महिला-पुरुष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

बल	लिंग	वर्ष				कुल
		2013	2014	2015	2016*	
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस	पुरुष	38	41	37	6	122
	महिला	0	0	1	0	1
सीमा सुरक्षा बल	पुरुष	38	46	27	4	115
	महिला	0	0	0	1	1
सशस्त्र सीमा बल	पुरुष	7	8	8	1	24
	महिला	0	0	0	0	0
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	पुरुष	7	8	9	2	26
	महिला	0	0	0	0	0
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	पुरुष	13	10	15	2	40
	महिला	4	1	1	0	6
असम राइफल्स	पुरुष	8	11	11	0	30
	महिला	0	0	0	0	0
	कुल	115	125	109	16	365

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 124

अनुलग्नक-**III**

देश में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिकों में आत्म हत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:-

i) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के कार्मिकों के स्थानान्तरण और छुट्टी के संबंध में पारदर्शी नीतियां। ड्यूटी के दौरान, घायल होने पर इलाज की अवधि को ड्यूटी माना जाता है। कार्मिक द्वारा कठिन क्षेत्र में सेवा कर लिए जाने के पश्चात जहां तक संभव होता है, उनकी पसंदीदा तैनाती पर विचार किया जाता है।

ii) कार्मिकों की समस्याओं का पता लगाने और उनके निराकरण हेतु अधिकारियों से नियमित बातचीत;

iii) पर्याप्त आराम और राहत सुनिश्चित करने के लिए कार्य के घंटों को विनियमित करना;

iv) पर्याप्त मनोरंजन, खेलकूद, संचार सुविधाओं आदि उपलब्ध कराकर सैन्य बलों के जीवन स्तर में सुधार लाना। कुछ स्थापनाओं में (जहां व्यवहार्य है) महिला कर्मचारियों की सुविधा के लिए क्रैच की सुविधा भी मुहैया कराई जाती है।

v) पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर राज्य और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों (राज्य की राजधानियों को छोड़कर) में तैनाती होने के दौरान अन्तिम तैनाती स्थल पर सरकारी आवास (परिवार को रखने के लिए) अपने पास बनाए रखने की सुविधा दी जा रही है।

vi) बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के अतिरिक्त, विशेषज्ञों से बातचीत का आयोजन किया जाता है ताकि उनकी व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक चिंताओं को दूर किया जा सके तथा बेहतर तनाव प्रबंधन के लिए नियमित रूप से ध्यान एवं योग कक्षाओं का आयोजन किया जाता है।

vii) कठिन क्षेत्रों में तैनात सैन्य बलों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

viii) केन्द्रीय पुलिस कैंटीन सुविधा, उनके बच्चों को छात्रवृत्तियों आदि जैसे अन्य कल्याणकारी उपाय। कल्याणकारी उपाय के तौर पर पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर में तैनात केन्द्रीय सशस्त्र बल के कार्मिकों को हवाई कूरियर सेवा भी उपलब्ध कराई गई है।

ix) बेहतर पहचान, सामुदायिक मान्यता के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सेवानिवृत्त कार्मिकों को भूतपूर्व केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिक का दर्जा प्रदान किया गया है।

x) जब कभी रिक्तियां उत्पन्न होती हैं, तब पात्र कार्मिकों को नियमित आधार पर पदोन्नति दी जाती है। सेवा के 10, 20 और 30 वर्ष हो जाने के पश्चात रिक्तियों के अभाव में पदोन्नति न पाने वाले पात्र कार्मिकों को नियमानुसार मॉडीफाइड एस्योर्ड कॅरियर प्रोगेशन (एमएसीपी) योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ प्रदान किए जाते हैं।